जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 /1063/ 2026 दिनांकः 29 जून, 2026

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा निदेशक शैक्षणिक, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि **राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई–4072 / 32–जी0एस0 / 2026, दिनांकः 21.06.2026** (संलग्न) के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. माननीय कुलपति जी।
2. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को तद्नुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहाताल, जिला–बलिया,उ0प्र0, पिनकोडः–277301
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code- 277301
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई-4072 /32-जी.एस/2026

दिनांकः 21/06/ ,2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैंः–

i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे– प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों

Scanned with OKEN Scanner

एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–3 के बिन्दु **i** से **vi** तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

Scanned with OKEN Scanner